भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 193

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध की स्थापना

193. श्री निलेश नारायण राणेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ियों से बचने के लिए ऐसी मीडिया रिपोर्टों, कारपोरेट प्रेस विज्ञाप्तियों एवं विज्ञापनों की संवीक्षा हेतु विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध की स्थापना करने या स्थापना का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया है जिसका प्रभाव कंपनियों के शेयर मूल्यों पर पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग): मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से और कारपोरेट जगत से संबंधित बाजार निगरानी के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में वर्ष 2009 से एक बाजार अनुसंधान और विश्लेषण इकाई (एमआरयू) कार्य कर रही है। एमआरयू ये इनपुट अन्य एजेंसियों के साथ भी साझा करता है। एमआरयू के कार्य संचालन को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति ने वित्त, सांख्यिकी और तकनीक के क्षेत्र में अपेक्षित तकनीक और दक्ष लोग लाने की सिफारिश की है। इन अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****